निर्णय न्यायालय श्री मुकेश कुमार कायथवाल, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19/2016	18.10.2016	27.3.18

गोपाल पुत्र चतरू, कोली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर——प्रार्थी

बनाम

1. खेमराज पुत्र सुखदेवा, कोली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
2. भोरू पुत्र सुखदेवा, कोली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
3. दोजी पुत्र सुखदेवा, कोली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
4. झूमा बेवा सुखदेवा, कोली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
5. कंचन पत्नि तुलसीराम पुत्र स्व0 सुखदेवा, कोली नि0 डिडवाडी तह0 बौली
6. सौमा पत्नि राजकुंवार पुत्र स्व0 सुखदेवा, कोली, लाखनपुर तह0 लालसोट
7. रामवतार पुत्र रामविलास, माली नि0 मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
8. रामजीलाल पुत्र बीरवल, माली नि0 मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
9. गंगाराम पुत्र बीरवल, माली नि0 मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
10. गिर्राज पुत्र बीरवल, माली नि0 मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारनाडूंगर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री संतोष स्वामी, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं। आराजी ख0नं0 2452/3/2 रकबा 13 विस्वा, ख0नं0 2452/6 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 2455/2/3 रकबा 10 विस्वा, ख0नं0 2455/1/2 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, ख0नं0 2443/4 रकबा 3 बीघा, ख0नं0 2455/1/2 मिन रकबा 9 विस्वा, ख0नं0 2449/13 रकबा 14 विस्वा, ख0नं0 2453/2 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 2454 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, ख0नं0 2455/1 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 5 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर बी में स्थित है जिसमें आधा हिस्सा प्रार्थी का व आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता स्व0 सुखदेवा का है। सुखदेवा का स्वर्गवास हो गया है। भूमि का पक्षकारों के मध्य आज तक तकासमा नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि का तकासमा करने हेतु वादी ने कई बार कहा लेकिन अप्रार्थीगण ने तकासमा नहीं होने दिया। अप्रार्थीगण ने उनके हिस्से की जमीन से ज्यादा जमीन 10 बीघा 15 विस्वा पर कब्जा कर रखा है जबकि उनके हिस्से में 7 बीघा साढे 12 विस्वा भूमि ही आती है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 उपरोक्त अविभाजित भूमि में से अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 को ख0नं0 2443/4 रकबा 3 बीघा जमीन अवैध रूप से बेच रहे हैं। जमीन अनुसूचित जाति की है जिसे किसी अन्य जाति के व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता । जब तक

मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

भूमि का तकासमा नहीं हो जाती तब तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 ख0नं0 2443/4 रकबा 3 बीघा के रास्ते वाला हिस्सा जो दक्षिणी हिस्सा है वह पूरा हिस्सा अप्रार्थी सं0 7 ता 10 को बेच रहे हैं जबकि इसमें आधा हिस्सा वादी का है। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 को प्रार्थी ने व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने समझाया कि जमीन का तकासमा कराए बिना जमीन किसी अन्य को मत बेचो परन्तु अप्रार्थी सं0 1 ता 6 पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अप्रार्थी सं0 7 ता 10 भूमि में अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं। इसकी शिकायत प्रार्थी ने तहसीलदार मलारनाडूंगर को भी की परन्तु उन्होने कोई कार्यवाही नहीं की है। दिनांक 13.10.16 को प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि पर जोत करने गया तो अप्रार्थी सं0 1 ता 6 ने प्रार्थी को जोत नहीं करने दी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थी के उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। न रहन बेचान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 11 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तथ्यों को तोड मरोडकर प्रस्तुत किया है। असल में पून्या प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ता 6 के पडदादा थे जिनके 3 पुत्र चतरू, गोविन्दा, सुकल्या हुए। चतरू के दो पुत्र सुखदेवा व गोपाल हुए। गोविन्दा लाऔलाद फौत हो गया। उसकी विरासत सुकल्या के आ गई। सुकल्या के 4 पुत्रियां सरवणी, लक्ष्मी, चम्पा, छोटी हैं। सं0 2033 से 2036 में विवादित आराजी चतरू व गोविन्दा के नाम दर्ज थी। गोविन्दा लाऔलाद फौत हो जाने पर सुकल्या जो गोविन्दा का छोटा भाई था एवं उसका नाम खातेदारी में भी दर्ज नहीं था इस वजह से गोविन्दा की विरासत सुकल्या के करने का निर्णय समाज के लोगों ने लिया। तभी से गोविन्दा की कब्जे काश्त की भूमि को सुकल्या ही काश्त करता चला आ रहा था। सुकल्या की मौत के बाद उसकी बेटियां साझे पर जमीन काश्त करवाती रही है। विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज है जो गलत है। असल में सम्पूर्ण आराजी में से हिस्सा 1/2 सुकल्या की वारिस उसकी पुत्रियों सरवणी लक्ष्मी, चम्पा व छोटी का है तथा हिस्सा 1/2 चतरू के वारिस प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण का है। सं0 2033 से 2036 की जमाबंदी में खातेदारी चतरू, गोविन्दा पिता पून्या के नाम से दर्ज थी। गोविन्दा नाऔलाद फौत होने पर उसका वारिस सुकल्या ही काश्त करता रहा। सुकल्या के बाद उसकी पुत्रियां साझे बांटे पर काश्त करवाती रही है। इस बाद अप्रार्थी सं0 7

27.3.18
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

ता 10 को साझे बांटे में भूमि बताकर अपने हिस्से की भूमि काश्त करवाई है तथा उनके माध्यम से ही खेतों पर रहने के लिए मकान बनवाया है। अगस्त माह में जब सुकल्या की बेटियों को इस बात की जानकारी हुई कि जमीन उनके नाम नहीं है तो उन्होने जमीन उनके नाम कराने हेतु प्रार्थी व जबाबरादान से कहा परन्तु प्रार्थी साफ मुकर गया। इस पर सुकल्या की पुत्रियों ने दिनांक 8.9.16 को जाति विरादरी व आम समाज के मौतविरान लोगों को एकत्रित किया व अपने हिस्से की जमीन उनके नाम लगवाने को कहा परन्तु इस पंचायत में प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। पंच पटेलो ने वादग्रस्त भूमि में सुकल्या की पुत्रियों का 1/2 हिस्सा देने हेतु कहा। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को भी उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी बनने के लिए कहा परन्तु अप्रार्थी सं0 1 ता 6 द्वारा मना कर देने पर प्रार्थी ने हमें अप्रार्थी बनाया है। अप्रार्थी सं0 7 ता 10 सुकल्या की पुत्रियों के कहने पर ही काश्त करते आ रहे हैं एवं उनके कहने पर ही मकान का निर्माण कराया है। प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने दिनांक 13.10.16 को अप्रार्थी नं0 1 ता 6 द्वारा जमीन जोतने से मना करने की बात कही है जबकि इस दिन अप्रार्थीगण मलारनाडूंगर में ही उपस्थित नहीं थे। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2070 से 2073 पेश की है।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा दर्ज है परन्तु अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा अब वे भूमि का बंटवारा कराए बिना अप्रार्थी सं0 7 ता 10 को भूमि विशेष का बेचान अवैध रूप से कर रहे हैं तथा अप्रार्थी सं0 7 ता 10 भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी को भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए उन्हें दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा मृतक सुकल्या की 5 पुत्रियों का है परन्तु उनका रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं है, मौके पर कब्जा काश्त है। शेष 1/2 हिस्से में प्रार्थी व अप्रार्थीगण का हिस्सा है। इसके अनुसार ही पक्षकारान भूमि पर काबिज हैं। प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर प्रा0पत्र पेश किया जो खारिज फरमाया जावे।

7.3.18
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि में नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 के अनुसार प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमि में सुकल्या की पुत्रियों का 1/2 हिस्सा होने की तथ्य अपने जबाब में अंकित किया है परन्तु इस कथन को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित होता है एवं इसके अनुसार ही सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2016 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हम मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट (**confirm**) करना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 2452/3/2 रकबा 13 विस्वा, ख0नं0 2452/6 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 2455/2/3 रकबा 10 विस्वा, ख0नं0 2455/1/2 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, ख0नं0 2443/4 रकबा 3 बीघा, ख0नं0 2455/1/2 मिन रकबा 9 विस्वा, ख0नं0 2449/13 रकबा 14 विस्वा, ख0नं0 2453/2 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 2454 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, ख0नं0 2455/1 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा कुल रकबा 15 बीघा 5 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर बी के समबन्ध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2016 को मूल वाद के निर्णय होने तक पुष्ट (**confirm**) किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27/3/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.22 14:56:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: